N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0176 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/08/2024 17:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(e)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/04/2011 **Date To (दिनांक तक):** 22/07/2020

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/08/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/08/2024 17:31:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 150 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** JAGDISH LODHA VAKEEL KA MAKAN, KASBA MANOHARTHANA, District Jhalawar

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PREM CHAND MEENA

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 05/06/1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	104, MANOLI, MALARNA DUNGER, MALARNA DUNGAR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	104, MANOLI, MALARNA DUNGER, MALARNA DUNGAR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LIYAKAT KHAN		पिता:LATUR KHAN	1. KHANPUR,JHALAWAR,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		78,61,751.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 78,61,751.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार है कि आरोपी श्री लियाकत खान पुत्र श्री लटूर खान जाति मुसलमान उम्र 38 साल, निवासी ग्राम बैसार तहसील खानपुर, जिला झालावाड, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति मनोहरथाना, जिला झालावाड हाल सेवा से डीबार के विरूद्ध दिनांक 22.07.2020 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही श्री ज्ञानचंद मीणा पुलिस निरीक्षक एसीबी बारां द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश सुमन कनिष्ठ सहायक एवं श्री मनोज कुमार कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बारां एवं आरोपी श्री लियाकत खान की उपस्थिति में आरोपी के किराये के निवास स्थान श्री जगदीश लोधा वकील का मकान, कस्बा मनोहरथाना, जिला झालावाड की नियमानुसार खानातलाशी ली गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:- कमरा नम्बर 1 - इस कमरे में आरोपी द्वारा कार्यालय संचालित किया जाना पाया गया । कमरे में पंचायत समिति मनोहरथाना से संबंधित रिकार्ड रखा हुआ मिला। 1.एक टेबल कुर्सी-कीमत करीब 5,000 रूपये, 2.तीन प्लास्टिक की कुर्सिया-कीमत करीब 12,00 रूपये, 3.एक लकडी की आलमारी -कीमत करीब 5,000 रूपये, 4.एक सिलिंग फेन-कीमत करीब 1,500 रूपये, 5.एक लेपटोप एसर कम्पनी का -कीमत करीब 30,000 रूपये बिन्दु संख्या 01 पर अंकित टेबल की उपरी दराज में कागजो के मध्य से पांच सौ, दौ सौ एवं सौ रूपये के नोट मिले जिन्हे गवाहो से गिनवाया गया तो उक्त राशि 02 लाख 01 हजार रूपये होना पाया गया। उक्त राशि के अतिरिक्त दराज में निम्नलिखित दस्तावेज पाये गये - 1.वाहन संख्या आरजे 17 सीए 7666 मारूती डिजायर की आरसी की मूल प्रति, 2.बडौदा क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक खाता संख्या 46210100464264 की एक चैक बुक खाताधारक लियाकत हुसैन के नाम, 3.वाहन संख्या आरजे 17 एसक्यू 7786 के बीमा की छाया प्रति वाहन मालिक लियाकत हुसैन, 4.नगर विकास न्यास कोटा में आवास योजना के तहत दिनांक 31.12.19 को 04 लाख 62 हजार रूपये जमा कराने की रसीद, 5.श्री लियाकत हुसैन द्वारा महालक्ष्मी नगर खानपुर जिला झालवाड में दिनांक 13.02.2019 को 20 लाख रूपये जमा कराने की मूल रसीद, 6. श्रीमति शबाना बी के बैंक ऑफ बडोदा खाता संख्या 39160100013563 की हस्ताक्षरित चैक बुक, 7.श्री लियाकत हुसैन के बैंक ऑफ बडौदा के खाता संख्या 3916010001148 की चैक बुक, 8.श्री लियाकत हुसैन के झालावाड केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा खानपुर के खाता संख्या 24009105740011883 के खाते की पासबुक, 9.बडोदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 466802 में श्रीमति शबाना द्वारा हस्ताक्षरित चैक बुक, 10.श्री लियाकत हुसैन द्वारा विज्ञान नगर योजना कोटा में दिनांक 20.07.2020 को आवास खरीदने का इकरारनामा की मूल प्रति, 11.आरोपी ने उपरोक्त खातो के अतिरिक्त स्वयं का एक खाता एसबीआई शाखा खानपुर में होना बताया जिसका खाता संख्या 51065271818 बताया। तथा उक्त खाते में करीब 07 लाख रूपये जमा होना बताया है। कमरा नम्बर 2 1.एक बैग जिसमें आरोपी के इस्तेमाली पहनने के कपडे- कीमत करीब 4000 रूपये, 2.एक सिलिंग फेन कीमत करीब 12,00 रूपये, 3. एक लकडी का दीवान मय गद्दा - कीमत करीब 8,000 रूपये बिन्दु संख्या 03 पर अंकित लकडी के दीवान में एक काले रंग का बैग मिला जिसे गवाहो से चैक करवाया तो उसमें पांच पांच सौ रूपये की 22 गडडीयां मिली जिन्हे गवाहो से गिनवाया गया तो प्रत्येक गड्डी में पांच सौ रूपये के 100-100 नोट होना पाया गया। कुल राशि 11 लाख रूपये होना पाया गया। कमरा नम्बर 01 के बिन्दु संख्या 01 में अंकित टेबल की दराज से बरामद नकद राशि 02 लाख 01 हजार रूपये एवं कमरा नम्बर 02 के बिन्दु संख्या 03 में बैग मे मिली राशि 11 लाख रूपये कुल 13 लाख 01 हजार रूपये के बारे में आरोपी लियाकत से पूछताछ की गइ्र तो आरोपी ने बताया की बैग में मिली 11 लाख रूपये की राशि कल दिनांक 21.07.2020 की रात्रि को राधाकिशन लोधा ठेकेदार निवासी ग्राम खुरी जिसके मो0 न0 (, है एवं असलम ठेकेदार मो0न0 (यह राशि मेरे यहां सुरक्षा के लिहाज से रख कर गये थे तथा टेबल की दराज में मिली राशि 02 लाख 01 हजार रूपये की राशि के संबंध में आरोपी लियाकत खान ने कोई जवाब नहीं दिया और मोन रहा तथा बताया कि 01 लाख रूपये श्री राधाकिशन ठेकेदार के थे तथा इसमें 15-20 हजार रूपये मेरे थे तथा 75 हजार रूपये बनवारी मेम्बर के थे। आरोपी द्वारा उपरोक्त राशि के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत होने नहीं से तथा प्रथम दृष्टया उक्त राशि सन्दिग्ध प्रतीत होने से उक्त राशि के संबंध में जांच किया जाना आवश्यक होने से कब्जे ब्यूरो लिया गया था। इसी प्रकार दिनांक 22.07.2022 को आरोपी लियाकत हुसैन के आजाद नगर उर्फ मन्ना कॉलोनी बोरखेडा नहर के पास स्थित प्लाट संख्या 31 पर बने आवास 25 गुणा 40 जिसमें एक बैठक, दो कमरे, दो लेट बाथ, रसोई व बीच में कॉमन स्पेस का नजरी निरीक्षण श्री किशनलाल एसीबी कोटा देहात द्वारा किया गयां तो उक्त आवास

में श्री मोहम्मद इकबाल मंसूरी उर्फ जूनियर अन्नू कपूर पुत्र श्री इशाक मंसूरी जाति मुसलमान उम्र 57 साल निवासी आर.के. पुरम कोटा द्वारा 10 हजार रूपये प्रति माह किराये से लिया जाना बताया था। जिसकी फर्द नजरी निरीक्षण तैयार की गई थी। सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में आरोपी श्री लियाकत खान को पत्र क्रमांक 676 दिनांक 12.10.2020 जारी कर निम्न बिन्दुओ पर स्पष्टीकरण चाहा गया जिस पर आरोपी श्री लियाकत खान द्वारा संलग्न दस्तावेज के साथ निम्नलिखित बिन्दुवार स्पष्टीकरण पेश किये गये। स्पष्टीकरण आरोपी श्री लियाकत खान दिनांक 24.12.2020 निवेदन है कि दिनांक 22.07.2020 को प्रार्थी के विरूद्ध षडयंत्र के आधार व असत्य तथ्य पर परिवादी ने कार्यवाही करवायी थी, उक्त कार्यवाही के दौरान प्रार्थी के निवास स्थान की खाना तलाशी ली गई थी जिसके सम्बंध में आपके द्वारा प्रार्थी को पत्र क्रमांक 676 दिनांक 12.10.2020 दिया गया। उक्त पत्र का स्पष्टीकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है- बिन्दु सं 1 - आपके आवास के कमरा नं. 1 मे रखी टेबल की उपरी दराज में मिली राशि 201000 रूपये। उत्तर- उक्त बिन्दु के अनुसार कमरा संख्या 1 में 2 लाख 1 हजार रूपये तलाशी के दौरान पाये गये थे। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त राशि प्रार्थी के मित्र राधाकिशन ठेकेदार एवं बनवारी लाल मेम्बर की थी जिसमें राशि एक लाख पच्चीस हजार रूपये राधाकिशन की थी तथा राशि 75000 रूपये बनवारी लाल मेम्बर की थी एवं शेष राशि 1000 रूपये प्रार्थी के थे। प्रार्थी के मित्र राधाकिशन और बनवारी लाल मेम्बर ने सुरक्षा की दृष्टि से उक्त राशि प्रार्थी के निवास स्थान पर रखी गई थी। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के मित्र राधाकिशन व बनवारीलाल के शपथ पत्र एनेक्चर नम्बर एक संलग्न है। बिन्दु सं 2- आपके आवाज के कमरा नं. 2 मे रखे लकडी के दीवान में एक काले रंग के बैग जिसमें नगद राशि 1100000 रूपये उत्तर -इस बिन्दु के सम्बंध में निवेदन है कि प्रार्थी एक संभ्रान्त व धनाढय परिवार का सदस्य है प्रार्थी के दादा व पिता गांव के जमींदार है। प्रार्थी के पूर्वज वर्षो से कृषि व पशुपालन डेयरी आदि का कार्य करते चले आ रहे है। प्रार्थी व उसके परिवार की 80 बीघा पुश्तैनी जमीन है तथा लगभग 68 बीघा कृषि मुनाफा काश्त करता है, प्रार्थी के यहां मुर्रा, भैंसे, गाय आदि है। प्रार्थी के यहां डेयरी फार्म कार्य भी होता है। प्रार्थी के यहां ट्रेक्टर भी है जिनसे भी प्रार्थी के यहां आय होती है। प्रार्थी का विवाह भी सम्पन्न परिवार में हुआ है। विवाह में प्रार्थी को उपहार स्वरूप नगद राशि व सोने चांदी के जेवर आदि भी मिले है। प्रार्थी की पत्नी गरीब नवाज टेलरिंग सेन्टर के नाम से टेलरिंग का काम करती थी उससे भी प्रार्थी की पत्नी की अच्छी खासी आय होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति मनोहरथाना जिला झालावाड में कार्यरत था इससे भी प्रार्थी को आय होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी एवं उसके परिवार में आवश्यकता पडने पर मिलने वालो से प्राईवेट ऋण भी लिया है जिसके बारे में कभी छिपाया नही है इसके भी दस्तावेज संलग्न है। प्रार्थी सामलाती परिवार में रहता है तथा प्रार्थी घर में पढा लिखा होने के कारण परिवार की समस्त कृषि व पशुपालन, ट्रेक्टर आदि से होने वाली आय का भी हिसाब किताब रखता है। इस प्रकार प्रार्थी के परिवार की पिछले दस वर्षो की विभिन्न स्त्रोतो से ज्ञात आय लगभग दो करोड तीस लाख बयालिस हजार तीन सौ तैतीस रूपये है। प्रार्थी की विभिन्न स्त्रोतो से आय का विवरण संलग्न है। यह कि प्रार्थी की उक्त स्त्रोतो से होने वाली आय के कारण कई बार प्रार्थी को नगद राशि भी प्राप्त करनी पडती है जिन्हे समय समय पर प्रार्थी बैंक में जमा करवाता रहा है। कई बार समय नही मिलने पर नगद राशि प्रार्थी के निवास स्थान पर रहती है। कमरा नं0 2 में जो नगद राशि ग्यारह लाख रूपये मिलना पाया गया था वह राशि प्रार्थी के उक्त कृषि व पशुपालन से होने वाली आय से भी जिन्हे प्रार्थी समय नही मिलने के कारण बैंक में जमा नही करवा पाया था। यहां प्रार्थी यह भी निवेदन करता है कि दिनांक 22.07.2020 को जब प्रार्थी के विरूद्ध एसीबी के द्वारा कार्यवाही की गई थी तथा प्रार्थी को पकडा था उस समय प्रार्थी बहुत घबरा गया था क्योकि प्रार्थी के साथ कभी ऐसा वाक्या हुआ नही था। उस समय जब 12.05 पीएम पर खाना तलाशी की फर्द बनाई जा रही थी उस समय प्रार्थी हिरासत में था तथा प्रार्थी अपने होश हवास खो चुका था। प्रार्थी से जहां जहां ट्रेप अधिकारी ने हस्ताक्षर करवाये प्रार्थी ने कर दिये थे। इस कारण घबराहट होने से प्रार्थी उक्त राशि के बारे में ट्रेप अधिकारी को भली प्रकार से बता नही पाया था। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचरण नही किया है। उक्त ग्यारह लाख रूपये प्रार्थी के कृषि व पशुपालन से होने वाली आय की राशि थी जो कि नियमानुसार थी। कृषि के संबंध में जो फसल प्रार्थी द्वारा कृषि उपज मण्डी के माध्यम से विक्रय की जाती थी उनकी विक्रय पर्चियां (वाउचर) को भी कई बार परिवार के सदस्यों द्वारा संभालकर रखा जाता था उन्हीं में से कुछ विक्रय पर्चियों की प्रति संलग्न है। बिन्दु सं 3(1)- वाहन संख्या आर जे 17 सीए 7666 मारूति डिजायर के रजि0 के कागजात कीमत करीब 700000 रूपये। उत्तर -इस बिन्दु के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त कार प्रार्थी के द्वारा नियमानुसार क्रय की गई थी जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वक्त घटना ट्रेप अधिकारी ने जब्त कर लिया था। उक्त कार की कीमत 700000 रूपये होना बताया गया है जबकि प्रार्थी ने उक्त कार नियमानुसार 700000 रूपये में क्रय की थी। बिन्दु सं 3(2)- वाहन संख्या आर जे 17 सीक्यू 7786 के बीमा की छाया प्रति कीमत करीब 59000 रूपये। उत्तर -उक्त मोटर साईकिल भी प्रार्थी ने नियमानुसार 59000 रूपये में क्रय की थी जिसकी आर.सी. संलग्न है। बिन्दु सं 4- मोटर साईकिल पेशन प्रो. हीरो कम्पनी रजि0नं. आर जे 17 एसएच 2600 ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा उत्तर -इस बिन्दु के संबंध में निवेदन है कि वक्त घटना प्रार्थी की स्वयं की मोटरसाईकिल खराब हो गई थी इस कारण प्रार्थी ने आवश्यकता पडने पर अपने मित्र धनराज पारेता से कुछ समय के लिये उसकी मोटर साईकिल ली थी। बिन्दु संख्या 4 में बताई गई मोटर साईकिल प्रार्थी के मित्र धनराज पारेता की है जिसके रजिस्ट्रेशन की कोपी व शपथ पत्र संलग्न है। बिन्दु सं 5- बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाता संख्या 46210100464264 की चैक बुक खाता धारक लियाकत हुसैन की प्रति

। अन्तिम बैलेंस दिनांक 21.07.2020 को 763228 रूपये। उत्तर -इस बिन्दु के संबंध में निवेदन है कि उक्त बैंक खाता प्रार्थी के स्वयं का था जिसमें प्रार्थी के वेतन से होने वाली आय की राशि व कृषि से होने वाली आय की राशि को प्रार्थी जमा करवाता था। बिन्दु सं 6- श्रीमती शबाना बी के बैंक ऑफ बडौदा खाता संख्या 39160100013563 की हस्ताक्षरित चैक बुक अन्तिम बैलेन्स दिनांक 21.07.2020 को 763228 रूपये। उत्तर - इस बिन्दु के संबंध में निवेदन है कि उक्त खाता प्रार्थी की पत्नी का है, प्रार्थी की पत्नी एक सम्पन्न परिवार की महिला है जिसे विवाह में उपहार स्वरूप नगद राशि आदि प्राप्त हुई थी इसके अतिरिक्त प्रार्थी की पत्नी गरीब नवाब टेलरिंग सेन्टर के नाम से टेलरिंग का कार्य करती थी। शहर की महिलाऐ प्रार्थी की पत्नी से सलवार सूट आदि कपडे सिलवाती थी जिनसे भी प्रार्थी की पत्नी को अच्छी खासी आय होती थी व प्रार्थी की कृषि से होने वाली आये जिन्हे प्रार्थी की पत्नी अपने स्वयं के उक्त खाते में जमा करवाती है। प्रार्थी की पत्नी विगत वर्षो से आयकर रिटर्न भी भरती है। उक्त खाते में जो राशि जमा है वह नियमानुसार प्रार्थी की पत्नी की आय की राशि है। आयकर रिटर्न की कॉपी संलग्न है। बिन्दु सं 7- आपका बैंक ऑफ बडौदा का खाता संख्या 3916010001148 की चैक बुक अंतिम बैलेन्स दिनांक 18.07.2020 को 1125088 रूपये। उत्तर - इस बिन्दु के संबंध में निवेदन है कि उकत बैंक खाता प्रार्थी के स्वयं का था जिसमें प्रार्थी की कृषि व के0सी0सी0 (किसान क्रेडिट कार्ड) से होने वाली आय को प्रार्थी समय समय पर जमा करवाता था। बिन्दु सं 8- आपके झालावाड केन्द्रीय सरकारी बैंक शाखा खानपुर खाता संख्या 24009105740011883 के खाते की पासबुक अंतिम बैलेन्स दिनांक 09.07.2020 को 155404 रूपये। उत्तर - इस बिन्दु के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त खाता भी प्रार्थी का स्वयं का है जिसमें प्रार्थी के द्वारा सहकारी समिति से लिये गये ऋण की राशि जमा थी जो कि नियमानुसार थी। बिन्दु सं 9- बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 466802 में श्रीमती शबाना द्वारा हस्ताक्षरित चैकबुक अंतिम बैलेंस दिनांक 18.07.2020 को 752850 रूपये। उत्तर - इस बिन्दु के संबंध में निवेदन है कि उक्त खाता प्रार्थी की पत्नी का है, प्रार्थी की पत्नी एक संभ्रान्त परिवार की महिला है जिसे विवाह में उपहार स्वरूप नगद राशि आदि प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की पत्नी गरीब नवाज टेलरिंग सेन्टर के नाम से टेलरिंग का कार्य करती थी। शहर की महिलाऐ प्रार्थी की पत्नी से सलवार सूट आदि कपडे सिलवाती थी जिनसे भी प्रार्थी की पत्नी को अच्छी खासी आय होती थी इसके अतिरिक्त प्रार्थी की पत्नी ने आवश्यकता पडने पर प्राईवेट ऋण भी लिये है जिन्हे प्रार्थी की पत्नी अपने स्वयं के उक्त खाते में जमा करवाती थी। प्रार्थी की पत्नी विगत वर्षो से आयकर रिटर्न भी भरती है। उक्त खाते में जो राशि जमा है वह नियमानुसार प्रार्थी की पत्नी की आय की राशि है। आयकर रिटर्न की कॉपी संलग्न है। बिन्दु सं 10- आप स्वयं का खाता संख्या 51065271818 एसबीआई शाखा खानपुर जिसमें अन्तिम बैलेंस दिनांक 21.07.2021 को 1164766 रूपये । उत्तर - इस बिन्दु के संबंध में निवेदन है कि उक्त बैंक खाता प्रार्थी के स्वयं का था जिसमें प्रार्थी की कृषि व के.सी.सी. (किसान क्रेडिट कार्ड) से होने वाली आय को प्रार्थी समय समय पर जमा करवाता था तथा प्रार्थी द्वारा आवश्यकता पडने पर प्राईवेट या मिलने वाले से ऋण भी लिया जाता रहा है जिसको भी प्रार्थी बैंक के माध्यम से लेता रहा है। बिन्दु सं 11- नगर विकास न्यास कोटा में आवास योजना के तहत दिनांक 31.12.2019 को 462000 रूपये जमा कराने की रसीद। उत्तर - इस संबंध में निवेदन है कि खाना तलाशी के दौरान प्रार्थी के यहां नगर विकास न्यास कोटा की आवास योजना की एक रसीद मिली थी जिसमें बिन्दु संख्या 11 में 462000 रूपये होना बताया गया है जो गलत है उक्त रसीद नगर विकास न्यास कोटा की आवासीय योजना से संबंधित है। प्रार्थी की पत्नी श्रीमती शबाना के द्वारा यूआईटी की आवास योजना में आवेदन किया गया था जिसमें प्रार्थी की पत्नी ने स्वयं की आय से तीन किश्तों में राशि जमा करवाई थी जो निम्न प्रकार है- दिनांक 13.01.2017 - 12000 रूपये दिनांक 03.11.2017 -58200 रूपये दिनांक 21.04.2018 - 51875 रूपये दिनांक 31.07.2018 - 150000 रूपये इस प्रकार प्रार्थी की पत्नी के द्वारा कुल भुगतान यूआईटी को 272075 रूपये का नियमानुसार किया गया था जिसकी रसीदों की प्रतिलिपी व प्रोविजनल आवंटन पत्र की प्रति संलग्न है। बिन्दु सं 12- आप द्वारा महालक्ष्मी नगर खानपुर जिला झालावाड में दिनांक 13.02.2019 को 2000000 रूपये जमा कराने की मूल रसीद उत्तर - इस बिन्दु के संबंध में निवेदन है कि उक्त प्लॉट प्रार्थी की पत्नी श्रीमती शबाना द्वारा स्वयं की आय प्रार्थी की कृषि से होने वाली आय एवं प्राईवेट ऋण लेकर दिनांक 02.04.2019 को क्रय किया गया था। बाद में रूपयो की आवश्यकता पडने पर उक्त प्लॉट को 2300000 रूपये में श्री जाकीर हुसैन, इब्राहिम व रईस मो. को संयुक्त रूप से विक्रय कर दिया था। जिसमें से प्रार्थी की पत्नी ने बैंक के माध्यम से 1600000 रूपये प्राप्त कर लिये थे। शेष राशि लेनी बाकी है। इस सम्बन्ध में इकरारनामा संलग्न है। बिन्दु सं 13- आप द्वारा विज्ञान नगर योजना कोटा में दिनांक 20.07.2020 को श्रीमती ग्लाडिश जोस से मकान नं0 3-च-21 क्रय करने के संबंध किये गये इकरारनामा की प्रति, उक्त मकान क्रय करने में आप द्वारा विक्रेता को अदा की गई राशि 5467000 रूपये। उत्तर - इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी ने बच्चों की कोचिंग के लिये इब्राहिम मंसूरी की साझेदारी में उक्त मकान क्रय करने का सौदा किया जिसमें 35 प्रतिषत प्रार्थी का हिस्सा था, 65 प्रतिषत इब्राहिम मंसूरी का हिस्सा था। उक्त मकान को क्रय करने हेतु प्रार्थी ने अपने हिस्से की राशि बैंक के माध्यम से विक्रेता को 2200000 रूपये अदा कर दिये थे तथा 4150000 रूपये इब्राहिम मंसूरी को उसके हिस्से की राशि के रूप में अदा करने थे जिसमें से उसने 1035000 रूपये नगद व 2233200 रूपये चैक संख्या 174693 सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दादाबाडी कोटा दिनांक 20.07.2020 के माध्यम से विक्रेता को अदा कर दिये थे। शेष 883000 रूपये का भुगतान शेष था इस सम्बन्ध में पार्टनर डीड, इकरारनामा

व चैक आदि की प्रति संलग्न है। बिन्दु सं 14-आपके बोरखेडा कोटा में स्थित मकान नं0 31 आजाद नगर कोटा कीमत 4000000 रूपये। उत्तर - इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा उक्त मकान 1800000 रूपये नियमानुसार रजिस्ट्री से क्रय किया था जिसकी रजिस्ट्री की प्रति संलग्न है, फर्द खाना तलाशी में उक्त मकान की कीमत को बढा चढाकर 4000000 रूपये का होना बताया गया है जो कि गलत है। संलग्न विक्रय पत्र की कॉपी। बिन्दु सं 15- आप द्वारा आपकी पत्नी श्रीमति शबाना बी के नाम ग्राम बेसार तहसील खानपुर जिला झालावाड में खसरा नम्बर 145 खाता संख्या 367 के नाम क्रय की गई भूमि रकबा 1.37 हेक्टयर कीमत 2000000 रूपये एवं पंजीयन शुल्क 117050 रूपये । उत्तर - इस बिन्दु के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती शबाना द्वारा स्वयं की व प्रार्थी की कृषि आय से स्वयं के नाम ग्राम बेसार तहसील खानुपर जिला झालावाड में खसरा नं0 145 खाता संख्या 367 से 1.37 हेक्टयर भूमि में से 1/2 अर्थात आधी भूमि की 500000 रूपये एवं पंजीयन शुल्क 47084 रूपये मं रजिस्ट्री द्वारा नियमानुसार क्रय की गई थी रजिस्ट्री की कॉफी संलग्न है। उक्त बिन्दु में संपूर्ण भूमि 1.37 हेक्टयर कीमत 2000000 रूपये होना एवं पंजीयन शुल्क 117050 रूपये होना बताया गया है जो कि गलत है। बिन्दु सं 16- खाना तलाशी के दौरान घरेलू सामान कीमत करीब 55000 रूपये। उत्तर - इस संबंध मे निवेदन है कि बिन्दु में बताया गया सामान पुराना व इस्तेमाली है जिनकी कीमत को मर्जी से जोडा गया है जो कि गलत है । अतः स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी एक सम्पन्न परिवार का सदस्य है, शामलाती परिवार में रहता है। जिसकी विभिन्न स्त्रोतो से विगत दस वर्षो की आय 23042333 रूपये अक्षरे दो करोड तीस लाख बयालिस हजार तीन सौ तैतीस रूपये है रसोई खर्च निकालने के पश्चात् भी प्रार्थी के पास लगभग 15000000 रूपये की राशि की सम्पति बचती है जिसकी आय व्यय का सम्पूर्ण विवरण संलग्न है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से यह सम्पति/राशि अवैध साधनो से अर्जित नही की गई है। प्रार्थी एवं उसके परिवार के द्वारा किसी प्रकार की आय को छुपाया नही गया है, प्रार्थी से पत्र क्रमांक 676 दिनांक 12.10.2020 के माध्यम से जो जवाब मांगा गया है वह बिन्दुवार जवाब प्रार्थी प्रस्तुत करता है। इसके बाद आरोपी श्री लियाकत खान ने दिनांक 05.07.2022, दिनांक 05.07.2022 एवं दिनांक 27.05.2024 को स्पष्टीकरण पेश किये गये आरोपी श्री लियाकत खान के द्वारा पेश किये गये स्पष्टीकरणों की विस्तृत विवेचन किया जाकर पेश किये गये तथ्यो के बारे में जांच की गई। खाना तलाशी के दौरान कमरा नम्बर 01 के बिन्दु संख्या 01 में अंकित टेबल की दराज से बरामद नकद राशि 02 लाख 01 हजार रूपये एवं कमरा नम्बर 02 के बिन्दु संख्या 03 में बैग मे मिली राशि 11 लाख रूपये कुल 13 लाख 01 हजार रूपये के बारे में आरोपी लियाकत से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया की बैग में मिली 11 लाख रूपये की राशि दिनांक 21.07.2020 की रात्रि को राधाकिशन लोधा ठेकेदार निवासी ग्राम खुरी जिसके मो0 न0 ( ) है एवं असलम ठेकेदार मो0न0 (, यह राशि मेरे यहां सुरक्षा के लिहाज से रख कर गये थे। टेबल की दराज में मिली राशि 02 लाख 01 हजार रूपये की राशि के संबंध में आरोपी लियाकत खान ने कोई जवाब नहीं दिया और मोन रहा तथा बाद में बताया कि 01 लाख रूपये श्री राधाकिशन ठेकेदार के थे तथा इसमें 15-20 हजार रूपये मेरे थे तथा 75 हजार रूपये बनवारी मेम्बर के होना बताया था। इस संबधं में श्री ज्ञानचन्द पुलिस निरीक्षक एसीबी बारां द्वारा उक्त नकद राशि के संबंध में श्री असलम खान पुत्र श्री आलम खान जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी ग्राम कूंजरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड को दिनांक 29.07.2020 को तलब कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि " मै गांव कूजंरा तहसील मनोहरथाना जिला झालवाड का रहने वाला हुं। पिछले 10 साल से सरकारी ठेकेदार (सिंचाई विभाग) का कार्य कर रहा हुं। मै करीब पिछले 02 सालों से मनोहरथाना पंचायत समिति में कार्यरत श्री लियाकत खान जेटीए से परिचित हुं। मेरा परिचय जेसीबी मशीन के कार्य को लेकर हुआ था। मेरे पास स्वयं की जेसीबी मशीन है जिसे मेने पंचायत में कार्य के दौरान चलवाया था। तब से मेरी लियाकत खान से सामान्य जान पहचान है। मैरा लियाकत खान जेटीए के घर पर आना जाना नहीं है तथा मै राधाकिशन पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गरबोलिया से भी परिचित हुं परन्तु मैने कभी राधाकिशन के साथ जाकर लियाकत खान जेटीए से किसी संबंध में कोई बातचीत नहीं की है। मैरे एवं लियाकत खान के मध्य किसी कार्य को लेकर कोई राधाकिशन नहीं है और ना ही मैने पंचायत समिति मनोहरथाना में कोई कार्य करवाया है। मै अंतिम बार मई 2020 में लियाकत खान जेटीए से गुराडी गांव के चौराहे पर में मिला था। मैरे और लियाकत खान के बीच में पैसो का कोई लेनदेन नहीं है। मैने दिनांक 22.07.2020 को एवं इससे पहले लियाकत खान जेटीए को कोई राशि उधार एवं अमानत के तौर पर रखने के लिये नहीं दिये है। मैने लियाकत खान को किसी प्रकार का चैक या ऑन लाईन लेनदेन भी नहीं किया है। लियाकत खान से सामन्य जानकारी होने के नाते मेरी कभी कभार फोन पर वार्ताएं हुई है। श्री लियाकत खान जेटीए मेरा किसी प्रकार से रिश्तेदार भी नहीं है। मेरे पास राधाकिशन लोधा के मोबाईल नम्बर है। मै राधाकिशन लोधा को सरपंच के रूप में ही जानता हॅू। अगर वह ठेकेदारी करता हो तो मुझे पता नहीं है। खानातलाशी के क्रम में श्री राधाकिशन पुत्र श्री प्रभुलाल जाति लोधा उम्र 42 साल निवासी ग्राम गरबोलिया, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0 को दिनांक 31.07.2020 तलब कर श्री ज्ञानचंद पुलिस निरीक्षक एसीबी बारां द्वारा पूछताछ की गई तो उसने बयान किया कि "मै गांव गरबोलिया तहसील मनोहरथाना जिला झालवाड का रहने वाला हुं तथा वर्तमान में खेतीबाडी का काम करता हॅू। मेरे स्वयं के पास ग्राम गरबोलिया में 35-40 बीघा जमीन मौजूद है। मै वर्ष 2010 से 2015 तक ग्राम गरबोलिया में सरपंच के पद पर निर्वाचित था तथा उसके बाद 2015 से 2020 तक मेरी पत्नी श्रीमती गोपी बाई सरपंच के पद पर निर्वाचित रही है। वर्ष

2017 के आस पास लियाकत खान जेटीए, पंचायत समिति मनोहरथाना में आया था, तब से मेरी उससे सामान्य जानकारी है। मैने जेटीए लियाकत खान से कोई पैसा उधार नही लिया और ना ही जेटीए लियाकत को उधार/अमानत के रूप में दिये है । जेटीए लियाकत खान मेरे किसी भी काम में साझेदार भी नही है। मै असलम ठेकेदार को जानता हॅू क्योकि मेरे सरपंच पद के दौरान उससे जान पहचान हुई थी। हम दोनो कभी भी जेटीए श्री लियाकत खान के घर पर नही गये और ना ही किसी प्रकार का पैसा लियाकत खान को दिया है। श्री लियाकत खान से किसी प्रकार की दोस्ती नही है। दिनांक 22.07.2020 के पहले जेटीए करीब मुझसे दो महिने पहले मुझसे मिला था। उस समय हम दोनो के बीच पैसो का कोई लेनदेन नही हुआ था। जब मै और मेरी पत्नी सरपंच थे तब लियाकत खान हमारी पंचायत में काम नही देखता था। इस प्रकार पूछताछ एवं बयान से श्री राधाकिशन एवं श्री असलम खान द्वारा खानातलाशी में मिली राशि उनकी नहीं होना बताया है। इसी क्रम में आरोपी श्री लियाकत हुसैन द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह राशि उसके कृषि, पशुपालन व अन्य आय के स्त्रोत से अर्जित करना बताया गया है। उक्त संबंध में आरोपी लियाकत हुसैन द्वारा कृषि जिंसों के बेचान के संबंध में कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति खानपुर जिला झालावाड से जरिये पत्रांक 903 दिनांक 21.06.2023 के द्वारा सूचना चाही गई तो उनके पत्रांक 191 दिनांक 05.07.2023 के द्वारा कृषि जिंसो के बैचान की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई। उक्त संबंध में चैक अवधि के दौरान करीब 34,14,094 रूपये की आय होना पाया गया है। ब्यूरो की गाईडलाईन के अनुसार आरोपी लियाकत खान व उसकी पत्नी के नाम जमीन से हुई आय को ही आरोपी की आय में शामिल किया जाने के क्रम में तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड से आरोपी लियाकत खान व उसकी पत्नी शबाना बी के नाम जमीन की सूचना चाहने पर उनके पत्रांक 2908 दिनांक 06.08.2019 से सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 14.09 बीघा (2.31 हेक्टेयर) जमीन होना पाई गई है। आरोपी लियाकत खान द्वारा अपने स्पश्टीकरण में प्रति बीघा 12500 रूपये आय होना बताया है। इस प्रकार आरोपी लियाकत खान व उसकी पत्नी शबाना बी के नाम कुल जमीन 14.09 बीघा को प्रतिवर्ष प्रति एक बीघा की आय 12500 रूपये से गुणा करने पर प्रतिवर्ष आय 1,76,125 रूपये हुई। इस प्रकार प्रतिवर्ष की कृषि आय 1,76,125 को चैक अवधि 10 वर्श से गुणा करने पर आरोपी व उसकी पत्नी की कुल कृषि आय 17,61,250 रूपये होना ज्ञात हुई है। आरोपी श्री लियाकत खान द्वारा पेश किये गये स्पष्टीकरण में श्री राधाकिशन दिनांक 10.12.2020 एवं श्री बनवारी दिनांक 09.12.2020 द्वारा पृथक-पृथक 50-50 रूपये के शपथ पत्र आलेखित किये गये पेश किये। उक्त दोनो शपथ पत्र मे से गवाह श्री राधाकिशन द्वारा पूर्व में दिये गये बयान में उक्त राशि स्वयं की नहीं होना बताया था इस लिये विरोधाभास होने के कारण उक्त राशि को संदिग्ध मानी गई है। आरोपी लियाकत खान तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक,पंचायत समिति मनोहरथाना जिला झालावाड के द्वारा अर्जित की गई परिसंपत्तियों एवं आय व्यय की सही स्थिति को प्रदर्शित करने हेतु चेक अवधि का निर्धारण कर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा जारी गाईडलाईन दिनांक 08.08.2014 के अनुसार खानातलाशी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र अ.ब.स. द मय चैक लिस्ट तैयार की गई जो निम्नानुसार है - प्रपत्र "अ" चैक अवधि दिनांक अप्रेल 2011 से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण क्र.सं. परिसंपत्ति का विवरण खरीदने /निवेश की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई- आरोपी से संबंध परिसंपत्ति का मूल्य परिसंपत्ति की वर्तमान स्थिति 1 2 3 4 5 1 कृषि भूमि चैक अवधि से पूर्व(पेतृक) (पेतृक) 0 परिवार में शामलाती 2 ट्रेक्टर फार्मट्रिक इयूरो आरजे 17 आरए 1970 08.01.2008 स्वयं के नाम 4,87,488 स्वयं के पास खेती हेतु कुल 4,87,488 प्रपत्र "ब" चैक अवधि अप्रेल 2011 से दिनांक 22.07.2020 के अंत में मौजूद परिसम्पत्तियों का विवरण क्रसं परिसंपत्ति का विवरण खरीदने /निवेश की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई- आरोपी से संबंध परिसंपत्ति की खरीद का मूल्य (रूपयो में) 1 2 3 4 5 1. एक आवास विज्ञान नगर कोटा 02.07.2020 आरोपी लियाकत हुसैन के स्वयं के नाम 22,00,000 2. एक आवास बोरखेडा आजाद नगर कोटा प्लाट संख्या 31 (25 गुणा 40- 1000 वर्ग फीट) 30.07.2018 आरोपी के पत्नी शबाना बी के नाम (पति-पत्नी) 18,00,000 3. नगर विकास न्यास कोटा में आवास योजना 13.01.2017 व 31.07.2018 आरोपी के पत्नी शबाना बी के नाम (पति-पत्नी) 2,72,075 4. कृषि भूमि 1.37 हेक्टर मे से आधा हिस्सा (0.685 हेक्टर) 08.06.2020 आरोपी के पत्नी शबाना बी के नाम (पति-पत्नी) 5,47,087 5. बडौदा क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक खाता संख्या 46210100464264 लियाकत खान के नाम 21.07.2020 आरोपी लियाकत हुसैन के स्वयं के नाम 12,23,762 6. बैक ऑफ बडौदा खाता संख्या 39160100013563 श्रीमति शबाना बी के नाम 03.07.2020 आरोपी के पत्नी शबाना बी के नाम (पति-पत्नी) 7,63,238 7. बडौदा क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक खाता संख्या 46210100466802श्रीमति शबाना बी के नाम 18.07.2020 आरोपी के पत्नी शबाना बी के नाम (पति-पत्नी) 7,52,850 8. बडौदा क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक खाता संख्या 39160100001148 लियाकत हुसैन के नाम 18.07.2020 आरोपी लियाकत हुसैन के स्वयं के नाम 11,25,088 9.झालावाड केन्द्रीय सहकारी बैक शाखा खानपुर खाता संख्या 24009105740011883 लियाकत हुसैन के नाम 09.07.2020 आरोपी लियाकत हुसैन के स्वयं के नाम 1,55,404 10. एसबीआई शाखा खानपुर खाता संख्या 510065271818 लियाकत हुसैन के नाम 21.07.2020 आरोपी लियाकत हुसैन के स्वयं के नाम 11,64,766 11. किराये के कमरा नम्बर 1 मे रखी टेबल की दराज में मिली नकद राशि 22.07.2020 आरोपी लियाकत हुसैन के स्वयं के पास 2,01,000 12. किराये के कमरा नम्बर 2 मे रखे दिवान में मिली नकद राशि 22.07.2020 आरोपी लियाकत हुसैन के स्वयं के पास 11,00,000 13. मोटर साईकिल आरजे 17 एसक्यू 7786

31.03.2017 आरोपी लियाकत हुसैन के स्वयं के नाम 59,000 14. कार आरजे 17 सीए 7666 मारूति डिजायर आरोपी लियाकत हुसैन के स्वयं के नाम 7,00,000 15. घरेलू सामन (फर्द खानातलाशी अनुसार) 22.07.2020 आरोपी लियाकत हुसैन के स्वयं के नाम 55,900 कुल योग 1,21,20,170 इस प्रकार चेक पिरीयड के अंत में आरोपी लियाकत खान व उसकी पत्नि श्रीमति शबाना बी द्वारा अर्जित परिसंपत्तियो का कुल मूल्य 1,21,20,170/- रूपये पाया गया है। प्रपत्र "स" चैक अवधि अप्रेल 2011 से दिनांक 22.07.2020 तक में आरोपी की शुद्ध आय निम्नानुसार है- क्रसं. आय का शीर्षक विवरण आय प्राप्ति की दिनांक/वर्ष अवधि किसके द्वारा आय अर्जित की गई, आरोपी से उसका संबंध शुद्ध आय (राशि) 1 2 3 4 5 1. आरोपी श्री लियाकत हुसैन द्वारा वेतन भत्तों से प्राप्त की गयी शुद्ध आय (जीए-55 के अनुसार) 01.04.2011 से 04.11.2020 तक आरोपी के स्वयं के द्वारा अर्जित 15,57,779 2.आरोपी श्री लियाकत हुसैन की कृषि भूमि से आय (लियाकत व उसकी पत्नी के नाम 14.09 बीघा जमीन जिसकी आय 12,500रू प्रतिवर्श के हिसाब से 10 वर्श की आय) चैक पिरीयड में आरोपी द्वारा कृषि भूमि से अर्जित 17,61,250 3. पत्नि श्रीमति शबाना बी की टेलरिंग से आय (इन्कम टेक्स रिटर्न की प्रतियां) चैक पिरीयड में आरोपी की पत्नि द्वारा अर्जित 8,36,066 4. 1 भूखण्ड बेचान से लाभ (इकरारनामा की प्रतियां) चैक पिरीयड में 10.12.2019 आरोपी व उसकी पत्नि द्वारा अर्जित 3,00,000 5. बैक खातो में ब्याज की राशि प्राप्त चैक पिरीयड में आरोपी व उसकी पत्नि द्वारा अर्जित 3,92,583 कुल योग 48,47,678 इस प्रकार आरोपी श्री लियाकत खान व असकी पत्नि श्रीमति शबाना बी के द्वारा चेक पिरीयड के दौरान वेतन व अन्य स्त्रोतो से प्राप्त शुद्ध आय कुल 48,47,678 रूपये होना पाया गया है। प्रपत्र "द" चैक अवधि अप्रेल 2011 से दिनांक 22.07.2020 तक आरोपी द्वारा किए गए खर्चों का विवरण क्रसं खर्च का शीर्षक विवरण खर्च करने की दिनांक/वर्ष अवधि किसके द्वारा खर्च किया गया - आरोपी (आप स्वयं) से उसका संबंध खर्च की राशि 1.आरोपी द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान अर्जित किये गये वेतन-भत्तों से प्राप्त शुद्ध आय राशि 15,57,779/-रूपये का 1/3 असत्यापनीय व्यय चेक पिरीयड आरोपी द्वारा खर्च 5,19,259 2.आरोपी द्वारा वाहन संचालन व सार संभाल पर खर्च राशि चैक पिरीयड आरोपी द्वारा खर्च 50,000 3. मोबाईल फोन व इन्टरनेट पर किया गया खर्च चैक पिरीयड आरोपी द्वारा खर्च 20,000 कुल योग 5,89,259 इस प्रकार आरोपी श्री लियाकत खान व असकी पत्नि श्रीमति शबाना बी के द्वारा द्वारा किये गये कुल खर्च 5,89,259 रूपये होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री लियाकत खान व उसकी पत्नि श्रीमति शबाना बी द्वारा चेक पिरीयड दिनांक अप्रेल 2011 से दिनांक 22.07.2020 तक प्राप्त, अर्जित सम्पतियां, आय एवं व्यय निम्नानुसार हैः- (क). चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य - 4,87,488/रूपये (ख). चैक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 1,26,07,658 रुपये (ग.) चैक पिरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (ख-क)-1,21,20,170 रुपये (घ.) चैक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि 48,47,678 रूपये (ड.) चैक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि 5,89,259 रूपये (च). चैक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां गड 1,27,09,429/- रूपये (छ). आय से अधिक सम्पत्ति की राशि (च-घ) 78,61,751 रूपये (ज). आय से अधिक सम्पत्ति का प्रतिशत छ/घ x100 162.17 प्रतिशत इस प्रकार आरोपी आरोपी श्री लियाकत खान, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक,पंचायत समिति मनोहरथाना जिला झालावाड द्वारा चेक पिरीयड जुलाई 2011 से दिनांक 22.07.2020 तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आरोपी की आय 48,47,678/- रूपये होकर अर्जित सम्पति का मूल्य 1,21,20,170 रूपये एवं व्यय राशि 5,89,259/- रूपये की पाई गई है । अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 1,27,094,429/- को आरोपी की आय 48,47,678/- में से घटाने पर 78,61,751 /-रूपये की संपत्ति शुद्ध आय से अधिक पाई गई है। जो कि आय से अधिक 162.17 प्रतिशत अधिक परिसम्पत्तियां ज्ञात हुई है तथा विस्तृत अनुसंधान से आय से ओर अधिक परिसम्पत्तियों के बढ़ने की सम्भावना है। इस प्रकार आरोपी आरोपी श्री लियाकत खान, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति मनोहरथाना जिला झालावाड हाल सेवा से डीबार द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर अपनी वैध आय से कही अधिक की परिसम्पतियाँ अर्जित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री लियाकत खान, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति मनोहरथाना जिला झालावाड के विरूद्ध जुर्म धारा 13(1)(ई), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध घटित होना पाया गया है। बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। (प्रेमचन्द) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लियाकत खान पुत्र श्री लटूर खान, उम्र 38 साल, निवासी खानपुर, जिला झालावाड तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0 हाल सेवा से डीबार के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 314 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 934-37 दिनांक 21.08.2024 प्रतिलिपिः.

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2 जिला कलक्टर, झालावाड। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा। 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vijay Kumar Swarnkar **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/08/2024 17:34:11

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)